116

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3788-एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-9-16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर जिला श्योपुर म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 336/14-15/बी-121.

1- गोवर्धन पुत्र बीरबल,
2- बीरबल पुत्र हजारी
निवासीगण ग्राम जैनी, हाल निवास बागल्दा,
तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर म0प्र0
2- अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर
जिला श्योपुर म0प्र0 ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी ।
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री डी0के0 शुक्ला।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9-12-16 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 336/2014-15/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 06-9-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि स्थित ग्राम बागल्दा खसरा नं. 224 एवं 225 का व्यवस्थापन आवेदक गोवर्धन को प्र0क्र0 110/87-88/अ-19 आदेश दिनांक 6-4-1988 से तथा भूमि सर्वे नं. 370, 371, 372, 373, 380/1 एवं 382 का व्यवस्थापन आवेदक क्रमांक 2 बीरबल पुत्र हजारीलाल के हित में प्रकरण क्रमांक प्र0क्र0 148/84-85/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 13-3-1986 द्वारा किया गया था । इसी प्रकार भूमि खसरा नं. 384, 386, 388 एवं 389 का विधिवत व्यवस्थापन आवेदक क्रमांक 2 के पूर्वाधिकारी लक्ष्मीनारायण पुत्र गोविंदा के हित में प्रकरण क्रमांक 147/84-85/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 13-3-86 द्वारा किया गया था । उपरोक्त बिंदुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न कर वैधानिक त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा पट्टे की प्रमाणित प्रति पेश नहीं है जबकि आवेदकों द्वारा दायरा पंजी वर्ष 1984-85 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की थी इस न्यायालय के समक्ष भी दायरा पंजी की प्रमाणित प्रति पेश की जा रही है । जिसमें विधिवत रूप से उक्त प्रकरण पंजीबद्ध है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह कहना कि पट्टा फर्जी है, सही नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि पट्टे वास्तविक एवं सही हैं । यदि अभिलेख प्राप्त नहीं है तो अभिलेख के रख-रखाव का कार्य राजस्व अधिकारियों का है जो उनके द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है ।

यह भी तर्क दिया गया कि जन सुनवाई में की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती वह प्रशासनिक होती है नाकि न्यायालयीन इस तथ्य को अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है ।

यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर इस प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी हैं और उन्हें प्रकरण में जांच करने का कार्य कलेक्टर द्वारा दिया गया है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अधिकारिता रहित होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है ।

यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है क्यों वह न्यायालय अपीलीय न्यायालय है और उन्हें उनके

न्यायालय में प्रस्तुत अपीलों में आदेश पारित करने की अधिकारिता है नाकि शिकायत के आधार पर आदेश पारित करने की । इस बिंदु पर भी विचार किए बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किए जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकों के हित में किया गया व्यवस्थापन विधिवत प्रकिया के अनुसार है तथा अपने स्थान पर अंतिम है, ऐसी स्थिति में अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील करने का वैधानिक प्रावधान है, जो किसी के द्वारा नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था ।

यह भी तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का यह कहना कि संहिता की धारा 113 के तहत उन्हें अवैध प्रविष्टि हटाये जाने का अधिकार है इस प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि सहमति के आधार पर अवैध प्रविष्टी हटाई जा सकती है, चूंकि आवेदकों द्वारा अपनी कोई सहमति नहीं दी है और ना ही ली गई है ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदकों ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये हैं । यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रकियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर.एन. 251 इंदरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को स्वमेव निगरानी के अधिकारों के तहत भी माना जाये तब भी उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से तथा आवेदकों की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी आदि से यह स्पष्ट है कि आवेदक/उनके पूर्वाधिकारी का प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जा वर्ष 1984 के पूर्व से अंकित है । आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दायरा पंजी वर्ष 84-85 एवं 87-88 की प्रमाणित प्रति पेश की गई हैं, जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । उक्त दायरा पंजी में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक तथा उनके पूर्वाधिकारी के पक्ष में किये व्यवस्थापन का प्रकरण क्रमांक अंकित है, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत खसरों से यह स्पष्ट है कि उनका नाम व्यवस्थापन होने के उपरांत वर्तमान तक निरंतर दर्ज चला आ रहा है । खसरा खतौनी के अतिरिक्त आवेदकों की ओर से प्रीमियम की राशि जमा करने संबंधी रसीदें भी पेश की गई हैं, जिनमें आवेदकों को जारी पट्टे के प्रकरण कमांक का उल्लेख है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष कि आवेदकों ने मौजा पटवारी से मिलकर फर्जी पट्टे खसरे में दर्ज करवाये हैं, मान्य किए जाने योग्य नहीं है । आवेदकों के पक्ष में हुए व्यवस्थापन आदेशों को कोई चुनौती अपील के रूप में किसी के द्वारा नहीं दी गई है ऐसी स्थिति में जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पिछले 25 वर्ष से अधिक समय से चली आ रही आवेदकों के नाम की प्रविष्टि को विलोपित करना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है । तर्क के लिए यदि अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही को स्वप्रेरणा से किया जाना माना जाये तब भी उन्हें स्वमेव निगरानी का अधिकार नहीं है । स्वमेव निगरानी के अधिकारों के संबंध में न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 अवलोकनीय हैं । इस न्यायदृष्टांत में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों

की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । " उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ आवेदक के अधिवक्ता के इस तर्क में भी बल है कि चूंकि अभिलेख के रखरखाव की जिम्मेदारी तहसील न्यायालय की है और यदि कोई अभिलेख नहीं मिलता है तो उसके लिए पक्षकार को दोषी ठहराना या उसके विपरीत निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य है कि उन्होंने भूमि का व्यवस्थापन होने के उपरांत कब्जा लेने के बाद अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 25 वर्षों से अधिक समय उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 50 - भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं । " अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 336/14-15/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 6-9-16 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार, बड़ौदा को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेख संशोधित किए गए हैं तो उन्हें पूर्ववत संशोधित किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर